(4)

(12)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

सं.प.9(8)कार्मिक/क-5/90 जयपुर, दिनांक 25.11.93

समस्त जिला कलेक्टर,

विषय- राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण जाति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु अनुदेश ।

महोदय,

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं.प.9(8) कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28.9.93 द्वारा राज्य सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिये भरी जाने वाली रिक्तियों का 21 (इक्कीस प्रतिशत) अंश दिनांक 1.9.93 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना सं.प.11(125)आर एण्ड पी/एस डब्लू डी/88631 दिनांक 27.8.93 द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

इन वर्गों के लोगों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र देने के लिये परिशिष्ठ "क" में अंकित अधिकारी अधिकृत होंगे ।

पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ठ "ख" के अनुसार जारी किया जायेगा । इस प्रमाण पत्र में दो भाग है । प्रमाण पत्र के बिन्दु संख्या (1) पर अंकित प्रमाणीकरण व्यक्ति विशेष के दिनांक 27.8.93 की अधिसूचना में शामिल होने पर किया जायेगा । उक्त प्रमाणीकरण विभिन्न-प्रयोजनार्थ प्रभावी होगा । प्रमाण पत्र के बिन्दु संख्या (2) पर अंकित प्रमाणीकरण उन्हीं व्यक्तियों के लिये किया जायेगा जिन पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.9(8)कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है । इन व्यक्तियों के लिये जो कि "पिछड़े वर्ग" में तो आते हैं परन्तु उन पर अपवर्जन का नियम लागू होता है, प्रमाण पत्र में बिन्दु संख्या (2) पर किया गया अंकन काट दिया जायेगा अर्थात् ऐसे व्यक्तियों को मात्र "पिछड़ा वर्ग" का होने का प्रमाण पत्र बिन्दु संख्या (1) के अनुसार दिया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त उक्त वर्ग के व्यक्तियों के "निवास" अन्तर्जातीय विवाहित जोड़ों की सन्तान के मामले सामने आ सकते हैं । इस प्रकार के प्रकरणों में सन्दर्भ की सुविधा के लिये अनुसूचित जाति/ जनजाति के मामलों सम्बन्धी प्रकरणों के कानूनी परामर्श सम्बन्धी उद्धरण "ग" से छ: पर उपलब्ध है । अत: इस प्रकार के प्रकरणों में संलग्न उक्त परिशिष्ठों पर [illegible] कानूनी परामर्श के अनुसरण में ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे ।

लगातार----

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति/वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ठीक प्रमाणीकरण राजस्व रिकार्ड के आधार पर करें तथा आवश्यक हो तो विश्वसनीय जांच करावें । प्रमाण-पत्रों का सत्यापन उसकी सत्यता से स्वयं आश्वस्त होने के बाद ही करें ।

कृपया अपने अधीन समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को तदनुसार निर्देश प्रसारित कर, इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय

2- समस्त विशिष्ट सहायक सलाहकार महामहिम राज्यपाल/मुख्य सचिव

3- समस्त प्रमुख सचिव, शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध संचालक/राज्य संचालक/समस्त स्वायत्त शासी संस्था/बोर्ड/निगम आदि को प्रेषित कर निवेदन है कि वे आपके अधीनस्थ विभिन्न नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को भी इससे अवगत कराने का कष्ट करें ।

4- निजि सचिव, शासन सचिव, कार्मिक

5- सहायक सचिव, मंत्री मण्डल सचिवालय ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

2- सचिव, राज. विधान सभा, जयपुर ।

3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।

4- निबन्धक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।

5- निबन्धक राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

उप शासन सचिव

परिशिष्ट "क"

जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी तथा तद्सम्बन्धी अनुदेश

1- सम्भागीय आयुक्त /अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासन/शहर / उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ।

2- उस क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट जहां उम्मीदवार अथवा उसका परिवार रहता है ।

3- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पद का न हो ।

उक्त अधिकारियों में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, पिछड़े वर्गों की सूची सम्बन्धी आदेश की अधिसूचना दिनांक 27-8-93 के समय जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई निवास से सम्बन्धित होना चाहिये अर्थात एक जिले का राजस्व अधिकारी किसी दूसरे जिले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम नहीं है ।

राज्य सरकार के तद्सम्बन्धी अधिसूचना के अधिसूचित किये जाने की तारीख के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के मामले में पिछड़े वर्ग के माने जाने के प्रयोजन के लिये उनका निवास स्थान उक्त अधिसूचना की तारीख के समय उनके माता-पिता के स्थाई निवास स्थान है, जिनके अधीन वे पिछड़े जाति के होने का दावा करते हैं ।

25

Forms

परिशिष्ठ "ख"

==============

राजस्थान में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को दिये जाने वाले वर्ग/जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप/

========

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी------------ सुपुत्र/पुत्री/पत्नी-----------------ग्राम/नगर/----------जिला/डिविजन-------- राज्य सरकार द्वारा क्रमांक प•11(125)आर•एण्ड•पी•/सकवि/4663 दिनांक 27•9•93 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से --------वर्ग/जाति के सदस्य हैं।

(2) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प•9(3)कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28•9•93 के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लेखित अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है।

हस्ताक्षर,
जाति प्रमाण पत्र जारी
करने वाले अधिकारी

मोहर

नोट:- यदि क्रम संख्या (2) लागू न होता हो, तो उसे काट दिया जावे।

26

परिशिष्ठ "ग"

अनुसूचित जाति/जन जाति के "निवास" शब्द के वैधानिक अर्थ का मूल्यांकन

राष्ट्रपति ने प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के बारे में और राज्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अधीन तथा उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न जातियों और जन जातियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों - - - - - - - - - - के रूप में अधिसूचित करते हुये समय-समय पर आदेश जारी किये है। अन्तर्राज्य/क्षेत्रीय प्रतिबन्ध जानबूझ कर लगाये गये है ताकि किसी विशिष्ठ क्षेत्र में रहने वाले विशिष्ठ समुदाय के लोग जिनको अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की हैसियत का माना गया उनके लिये निर्धारित की गई सुविधायें उन्हीं को मिलें। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के लोग अनिवार्य रूप से एक ही असमर्थता से पीड़ित नहीं हो सकते हैं। यह भी सम्भव है कि एक ही जाति के दो व्यक्ति जो भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रहते हैं दोनों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अथवा विलोमतः (वाईस-वरसा) न समझा जावे। इस प्रकार किसी खास स्थान पर रहने वाले खास व्यक्ति का एक खास महत्व है। इसके - - - - - विपरीत इस शब्द का आशय किसी स्थान विशेष के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की जाति/जनजाति को अनुसूचित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख को उस व्यक्ति के स्थाई निवास से है। इस प्रकार एक व्यक्ति, उस पर लागू होने वाले राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करते समय अपने स्थाई निवास स्थान से अस्थाई रूप से कहीं अन्यत्र रहता हो, उदाहरण के लिये नौकरी कर करता हो या शिक्षा आदि प्राप्त कर रहा हो, अनुसूचित जाति/जनजाति जो भी हो, से सम्बन्धित समझा जावेगा, यदि उसके राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में उसकी जाति/जनजाति उस आदेश में निर्दिष्ट की गई हो। परन्तु उसे अस्थाई निवास के सम्बन्ध में इस प्रकार नहीं समझा जावेगा भले ही अस्थाई निवास के क्षेत्र में राष्ट्रपति के किसी भी आदेश में वास्तव में उस [illegible] जाति को अनुसूचित किया गया हो।

परिशिष्ट-"ब"

Legal views on the status of the offsarings of acouple where one of the spouses is a member of a Scheduled Caste.

The general position of law as to that effect of marriage between parties who are Hindus and one of whom belongs to the Scheduled Castes is that under the ancient Hindu law, generally, inter-caste marriage was looked down upon by the propounders and commentators. Some of the authorities, however, reluctantly permitted marriage between a male caste Hindu with a Shudra female and included it in the list of Anuloma marriages although it was stated that in the wedding with a shudra wife, the ceremony should be performed without antras. The children born out of a marriage by a caste Hindu with a woman of an interior caste had neither the caste of the father nor the status of his Savarn Aurasas meaning the son born of a caste Hindu wife. They were termed as Anulomaja and belonged to an intermediate caste higher than that of their mother and lower than that of their father. Yajnavalkya omits the son of prahmin by a Shudra wife from the list of sons mentioned by Manu. Fratiloma marriages, i.e. marriages between woman of a superior caste with a man of an inferior caste, were altogether forbidden and no rites were prescribed for them in Grihya Sutra and persons entering into such marriages were degraded from the caste.

2. After the passing of the various statutory enactments relating to the Hindu law, such as, the Hindu Marriages Act, 1955, the Hindu Succession Act, 1956 and the Hindu Minority & Guardianship Act, 1956, customary ban on inter-caste marriages in either way, has been lifted by the statutory enactments Under the Hindu Marriage Act, any two Hindus of different sex, irrespective of their caste may enter into a valid marriage unless such marriage is prohibited by the statute inself. According to the above three statutes, all children either legitimate, or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Budhist, Jain or a Sikh by religion and who are broughtup as members of the tribe, community, group to be treated as Hindus. On view of the above, the off-springs of marriage between the caste Hindu and a member of the Scheduled Caste community, are Hindu and like the off-springs of marriage in the same caste, are entitled to succeed to the properties of their parents. But the status of his or her parent belonging to the higher caste or to question arises as to whether such a child will acquire the that of the parent belonging to the Scheduled Caste. On this point, we have not come across any direct case law. But we feel that the ratio of the decision in wilson Read Vs. C.C. Booth reported in AIR 1958 Assam, 128 would apply to such cases. It is stated at page 182.

> " The test which will determine the membership of the individual will not be the purity of blood, but his own conduct in following the customs and the way of life of the tribe, the way in which he was treated by the community and the practice amongest the tribal people in the matter of dealing with the tribal people in the matter of dealing with persons whose mother was a khasi and father was a Uropean".

...2/...

परिशिष्ठ - छ

Legal views on the status of the offsprings of a couple where one of the spouses is a member of a Scheduled Caste and the other that of a Scheduled Tribe.

As regards the status of the offspring whose father is a member of Scheduled Caste and mother of a Scheduled Tribe, the prima-facie presumption is in favour of the child possessing the caste of the father in the large majority of cases, having regard to the concept of domicile explained in para 1 of परिशिष्ठ -घ. Apart from this, it may also be a relevant criterion to see whether the child has been accepted and assimilated in the Scheduled Caste community to which the father belongs.

2. The Principles mentioned above would also apply to the case of an offspring whose mother is a member of a Scheduled Caste and father of a Scheduled Tribe.

3. This is the general position of law. Each case, however, has to be examined in the light of the attendant facts and circumstances.

परिशिष्ट - "घ"

Legal views on the status of the offsprings of a couple where both the spouses are members of Scheduled Caste/Scheduled Tribes but each belongs to a different sub-caste/sub-tribe.

1. Under the Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, what is material is residence of the member of the caste, race or tribe in the localities specified in the respective schedule. In the case of a minor child the question arises whether his residence will go along with that of his father. Under the principles of private International law, the domicile of a minor child follows that of his father, and in certain cases of his mother and the minor child is incapable of changing his domicile by any voluntary act. This rule by no means is absolute, suppose, for instance, a father deserts his son or he is divorced and the custody of his son given to his wife. In such a case, the court may consider that the minor's domicile will be that of the mother.

2. Under Section 3 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 the natural guardian in the case of a minor boy or an unmarried girl is father and after him his mother. In the case of an illegitimate boy or an illegitimate unmarried girl, the natural guardian will be the mother and after her, the father.

3. In the above background it has to be seen as to which sub-caste or sub-tribe the offspring would belong in case the parents belong to two distinct communities within the same Scheduled Castes or Scheduled Tribes as the case may be. Prima facie it would appear that in such cases the children born of such parents could be treated as members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be. The prima facie presumption is also in favour of the child possessing the sub-caste or sub-tribe of the father in the large majority of cases, having regard to the concept of domicile mentioned above. Apart from this, it has to be seen whether the child has also been accepted and assimilated in the sub-caste or sub-tribe in that community. Each case has to be examined in the light of the circumstances pertaining to it.